23-12-17 -(5)

27/11/2017

संख्या- 3693/ III(2)/17-12(प्रा0आ0)/2016

प्रेषक,

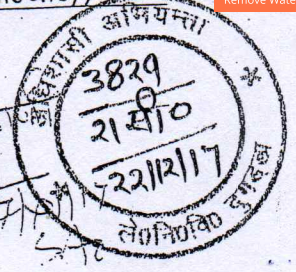

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 24 नवम्बर, 2017

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग के सुदृढीकरण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विषयगत कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0:-3031/ III(2)/16-12(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा लम्बाई 11.00 किमी0 तथा लागत ₹ 706.60 लाख की प्रदान की गई है।

2- उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष अधीक्षण अभियन्ता, 12वें वृत्त लो0नि0वि0 पौडी द्वारा दिनांक 23.11.2016 को निविदा आमंत्रित करते हुये तकनीकी बिड दिनांक 15.12.2016 को खोली गयी थी किन्तु इस दौरान वन विभाग द्वारा इस मार्ग पर पूर्व में कराये गये कार्य को लेकर वन विभाग एवं ठेकेदार (मै0 नारायण दत्त राजेन्द्र कुमार, कोटद्वार) के मध्य विवाद होने के कारण ठेकेदार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग की कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा मा0 उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय प्रतिक्षित है।

3- उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2017 को लोक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक ली गई, उक्त बैठक के कम में प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 20.11.2017 में उल्लिखित है कि प्रश्नगत वन मोटर मार्ग पूर्व में डामरीकृत होने के प्रमाण के सम्बन्ध में प्राप्त साक्ष्यों एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मार्ग वर्ष 1970-80 के मध्य डामरीकृत था तथा उक्त मार्ग के वर्तमान में डामरीकरण के साथ पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण के कार्य कराने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। उक्त निर्णय के आलोक में विषयगत मोटर मार्ग हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के प्राविधानों यथा आर0बी0आई0-81 द्वारा सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्य के सापेक्ष नवीन प्राविधानों (भरान, जी01, जी02 जी03, पी0सी0 द्वारा डामरीकरण, कल्वर्ट इत्यादि) हेतु कार्य का लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन गठित किया गया है, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

4- अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ न होने तथा इस मध्य श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 706.60 लाख में कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौडी द्वारा वर्तमान में विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 995.71 लाख है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 995.71 लाख (₹ 706.60 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 289.11 लाख अतिरिक्त लागत] की प्रशासकीय/वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

Photo Copy Attested

क्रमशः.................2 पर

(i)– उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 995.71 लाख (₹706.60 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 289.11 लाख अतिरिक्त लागत] में विषयगत कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 22.11.2016 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii)– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर वन विभाग एवं ठेकेदार (मै0 नारायण दत्त राजेन्द्र कुमार, कोटद्वार) के मध्य हुये विवाद के कारण मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद में मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुये तथा वाद में प्रतिक्षित अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही नियमानुसार निर्माण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii)– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v)– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vi)– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii)– निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

(viii)– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(ix)– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5– उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0:–22 लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–01 से स्थानान्तरित) की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–541/XXVII/(2)/2017 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता

कमशः.....3 पर

23-12-17

संख्याः– (1)/।।।(2)/17–12(प्रा0आ0)/2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, पौडी।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पौडी।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/कोटद्वार
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौडी।
12. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, दुगड्डा।
13. गार्ड बुक।

No-3910/21 दि0 22/12/17

Copy to AE III / J.E.

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

पत्र सं0 988/20 यात (क) /17 दि:-01-12-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभि0 क्षे0 लो0नि0वि0 पौडी।
2. अधी0 अभि0 12वां वृत्त, लो0नि0वि0 पौडी।
3. अधि0 अभि0 आई0टी0 सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. अधि0 अभि0 नि0ख0 लो0नि0वि0 दुगड्डा
5. सहा0 अभि0 [illegible] बजट को [illegible]

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 देहरादून

251
13/12/17

पत्र सं0 251/01 यता0-डी/17, दि0 5/12/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(1) S.E. 12 वृ0 पौड़ी

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता